

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 409/2012

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 409/2012

संस्थित दिनांक:-18/06/12

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,
एण्डोरी जिला-भिण्ड म0प्र0

.....**अभियोजन**

बनाम्

1. सियाराम पुत्र रामधन उम्र 45 वर्ष
निवासी- तुस्सीपुरा जिला मुरैना म0प्र0

.....**आरोपीगण**

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1)(1-ख)(क) आयुध अधिनियम)
(राज्य द्वारा- एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य)
(आरोपी द्वारा- अधि0 श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

// निर्णय //

// आज दिनांक 30.05.18 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 23.04.2012 को लगभग शाम के 7:00 बजे ग्राम बकनासा के पास रोड़ पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा राउंड बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख)(क) के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक दिनांक 23.04.2012 को थाना एण्डोरी के थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान ए0एस0आई0 आर0सी0 माहौर, आरक्षक अजयपाल, आरक्षक रामकुमार एवं आरक्षक चालक शिवराम सिंह के साथ वाहन क्र0 एम0पी0 03/6220 से इलाकागस्त पर रवाना हुए थे, गस्त करते हुए वह बाराहेट पहुंचे थे, वहां जरिए मुखबिर उन्हें सूचना मिली थी कि ईनामी बदमाश सियाराम गुर्जर बकनासा के पास रोड़ पर खड़ा हुआ है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मय फोर्स वाहन के रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे थे तो वहां एक व्यक्ति खड़ा दिखा था जो पुलिस वाहन को देखकर चलने लगा था जिसे फोर्स की मदद से रोककर पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम सियाराम बताया था तथा तलाशी लेने पर उसकी बाये ओर कमर में एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं दाहिनी जेब में 315 बोर के दो जिंदा राउंड मिले थे। आरोपी के पास कट्टा एवं कारतूस रखने बावत् लाईसेंस नहीं था।

2

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 409/2012

आरोपी से मौके पर ही कट्टा एवं कारतूस जप्त कर जप्ती की कार्यवाही तथा आरोपी को गिरफ्तार गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी। तत्पश्चात् थाना बापिस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र० 36/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 23.04.2012 को शाम लगभग 7:00 बजे ग्राम बकनासा के पास रोड़ पर सार्वजनिक स्थल पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा राउंड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी जितेन्द्र सिंह तोमर अ०सा० 1, राजू शाक्य अ०सा० 2, विनय अ०सा० 3, प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह अ०सा० 4, ए०एस०आई० आर०सी० माहौर अ०सा० 5 एवं जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क्र०-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 जो कि जप्तीकर्ता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 23.04.2012 को 15:30 बजे ए०एस०आई० आर०सी० माहौर, आरक्षक अजयपाल, रामकुमार एवं आरक्षक चालक शिवराम के साथ शासकीय वाहन से इलाकागस्त हेतु रवाना हुआ था। इलाकागस्त के दौरान वह बाराहेट पहुंचा था तो वहां उसे जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि ईनामी बदमाश सियाराम गुर्जर बकनासा के पास रोड़ पर खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था तो वहां एक व्यक्ति वहां खड़ा मिला था जो पुलिस को देखकर चलने लगा था जिसे पकड़ा था नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम सियाराम गुर्जर बताया था। उसके द्वारा आरोपी की तलाशी लिये जाने पर आरोपी के कमर में बाये तरफ एक 315 बोर का कट्टा मिला था तथा पेंट की दाहिनी तरफ 315 बोर के दो जिंदा राउंड मिले थे, आरोपी के कट्टा एवं कारतूस रखने बावत् लाईसेंस नहीं था

3

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया गया है कि उसे मुखबिर की सूचना इलाकागस्त के दौरान मिली थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी० 1 के कॉलम नम्बर 13 में उसके द्वारा नमूना सील नहीं लगाई गई है एवं यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी० 1 में प्र०पी० 1 में कट्टे का मानचित्र बनाते हुए कट्टे की लम्बाई एवं चौड़ाई नहीं लिखी गई है। उक्त साक्षी ने इसी पद क्र० में यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे पता चल सके कि वह 315 बोर का कट्टा है।

10. साक्षी राजू शाक्य अ0सा0 2 द्वारा प्र0पी0 3 के अभियोजन स्वीकृति आदेश को प्रमाणित किया गया है। प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह अ0सा0 4 द्वारा जप्तशुदा आयुध की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी0 4 को प्रमाणित किया गया है एवं ए0एस0आई0 आर0सी0माहौर अ0सा0 5 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

12. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध में आर्म्स क्लर्क राजू शाक्य आ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 22.05.2012 को जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में थाना एण्डोरी के प्रधान आरक्षक उमेश शर्मा द्वारा थाने के अप0क0 36/12 की केस डायरी जप्तशदा आयुध सहित पेश की गई थी एवं

4

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 409/2012

तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी सियाराम के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है।

13. इस प्रकार साक्षी राजू शाक्य अ०सा० 2 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने केस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की थी बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी सियाराम के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति विधिनुसार प्रदान की गई है।

14. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह अ०सा० 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27.04.2012 को पुलिस लाइन भिण्ड में थाना एण्डोरी के आरक्षक सूरतराम के द्वारा लाए जाने पर थाने के अप०क्र० 36/12 में जप्तशुदा 315 बोर के कट्टे एवं दो राउंड की जांच की थी जांच के दौरान उसने कट्टे का एक्शन चैक किया था कट्टा चालू हालत में था कट्टे से फायर किया जा सकता था। 315 बोर के दो जिंदा राउंड भी चालू हालत में थे, उनसे फायर हो सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के कथनों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है।

15. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह अ०सा० 4 ने जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में होना बताया है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

16. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस आरोपी ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे। उक्त संबंध में साक्षी सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 जो कि जप्तीकर्ता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि 8 टना दिनांक 23.04.2012 को वह रोजनामचा सान्हा क्र० 615/30 में खानगी अंकित करके मय फोर्स इलाकागस्त के लिए गया था एवं इलाकागस्त के दौरान उसे बाराहेट में मुखबिर द्वारा आरोपी के संबंध में सूचना मिली थी तथ सूचना प्राप्त होने पर वह बकनासा रोड़ पर गया था जहां उसने

5 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:- 409/2012

आरोपी सियाराम को पकड़ा था तथा तलाशी लेने पर सियाराम की कमर से बायीं तरफ 315 बोर का कट्टा एवं सियाराम के पेंट के दाहिनी जेब में 315 बोर के दो जिंदा कारतूस मिले थे। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आर्टिकल ए-1 का कट्टा एवं ए-2 तथा ए-3 के कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 बनाया था एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 बनाया था जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र०पी० 1 के जप्ती पंचनामे में कॉलम नम्बर 13 में नमूना सील अंकित नहीं है तथा यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी की तलाशी लेने से पहले उसने स्वयं की तलाशी नहीं दी थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी० 1 के जप्ती पंचनामे में जप्तशुदा कट्टे के मानचित्र में कट्टे की लम्बाई, चौड़ाई नहीं लिखी है परन्तु उक्त सभी तथ्य इतने तात्विक नहीं हैं जिसके आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा की जा सके। यद्यपि प्र०पी० 1 के जप्ती पंचनामे में जप्तशुदा कट्टे की लम्बाई चौड़ाई का वर्णन नहीं है परन्तु जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 ने आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं दो राउंड जप्त करना बताया है एवं जप्ती पंचनामे में जप्तशुदे कट्टे की लम्बाई चौड़ाई का वर्णन न होने से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

18. साक्षी सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 में जप्ती चिट नहीं लगी है और न ही उस पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं तो यहां यह उल्लेखनीय है कि जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 ने आरोपी से आर्टिकल ए-1 का कट्टा तथा ए-2 एवं ए-3 के कारतूस जप्त करना बताया है। आरोपी की ओर से जप्तशुदा आयुध की पहचान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। आरोपी द्वारा जप्तशुदा आयुध की पहचान को चुनौतित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए-1 पर जप्ती चिट न लगी होने से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

19. साक्षी सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह पता चल सके कि वह 315 बोर का कट्टा है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 ने आरोपी से 315 बोर का आर्टिकल ए-1 का कट्टा जप्त करना बताया है तथा प्रधान आरक्षक राजकिशोर अ०सा० 4 जिसके द्वारा जप्तशुदा आयुध की मैकेनिकल जांच की गई है, ने भी जप्तशुदा कट्टा 315 बोर का कट्टा होना बताया है ऐसी स्थिति में मात्र उक्त आधार पर भी अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

20. जहां तक साक्षी जितेन्द्र सिंह तोमर अ०सा० 1 एवं विनय अ०सा० 3 के कथन का प्रश्न है तो उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा भी साक्षी सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया गया है। साक्षी जितेन्द्र तोमर अ०सा० 1 ने घटना दिनांक को पुलिस द्वारा उसके सामने आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं दो राउंड जप्त करना बताया है तथा यह भी बताया है

कि उसी समय दरोगा जी ने उसके व उसके भाई विनय कुमार के हस्ताक्षर करा लिये थे, जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 है जिनके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि सियाराम की गिरफ्तारी एवं जप्ती मंदिर पर कितने समय में की गई और कितने समय तक कार्यवाही चली थी। इस प्रकार उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण के दौरान जप्ती की कार्यवाही का समय बताने में असमर्थ रहा है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 23.04.2012 की है एवं साक्षी जितेन्द्र तोमर के न्यायालय के समक्ष कथन दिनांक 24.02.2014 को हुए है ऐसी स्थिति में समय का लम्बा अंतराल होने के कारण साक्षी की स्मृति क्षीण होना स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में यह अत्यंत स्वाभाविक है कि उक्त साक्षी को जप्ती एवं गिरफ्तारी में लगा समय याद न हो तथा उक्त आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

21. साक्षी विनय अ०सा० 3 ने भी घटना दिनांक को दरोगा जी द्वारा उसके सामने आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 1 एवं विनय अ०सा० 3 के भाई सतेन्द्र पर सियाराम की रिपोर्ट पर मामला चल रहा है अतः साक्षी जितेन्द्र विनय ने रंजिशन आरोपी के विरुद्ध कथन दिये हैं परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 1 एवं विनय अ०सा० 3 की आरोपी से पूर्व रंजिश है तो भी आरोपी से कट्टा एवं कारतूस पुलिस द्वारा जप्त किये गये हैं तथा पुलिस की आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। साक्षी जितेन्द्र एवं विनय जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के मात्र साक्षी हैं। जप्ती एवं गिरफ्तारी की सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है तथा पुलिस की आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है ऐसी स्थिति में आरोपी का उक्त तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है एवं उक्त तर्क के आधार पर आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान द्वारा की गई है, उक्त साक्षी पुलिस कर्मचारी है ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान अ०सा० 6 ने घटना दिनांक को इलाकागस्त पर जाना एवं दौरानेगस्त मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आरोपी से 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस जप्त होना बताया है। उक्त साक्षी के कथन का पूर्णतः समर्थन जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 1 एवं विनय अ०सा० 3 द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारी की साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध अभिलिखित नहीं की जा सकती है।

उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत करमजीत सिंह विरुद्ध स्टेट (2003) 5 एस0 सी0 सी0 491 भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण के साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की साक्ष्य की तरह लेना चाहिए और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है पुलिस के मामले में भी लागू होता है विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त न्यायदृष्टांत से भी न्यायालय के इसी मत को बल मिलता है कि मात्र पुलिस कर्मचारी होने के कारण साक्षी सतीश सिंह चौहान अ0सा0 6 की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान अ0सा0 6 ने अपने कथन में दिनांक 23.04.2012 को आरोपी सियाराम से 315 बोर का कट्टा एवं दो कारतूस जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 में भी घटना दिनांक को आरोपी सियाराम से 315 बोर का कट्टा एवं दो 315 बोर के जिंदा राउंड जप्त किये जाने का उल्लेख है। जप्तीकर्ता सतीश सिंह चौहान अ0सा0 6 के कथन तात्त्विक बिन्दुओं पर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 से भी पुष्ट रहे हैं। उक्त साक्षी के कथन का समर्थन जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी जितेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 1 एवं विनय अ0सा0 3 द्वारा भी किया गया है उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

25. फलतः समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी सियाराम ने दिनांक 23.04.2012 को शाम के लगभग 7:00 बजे ग्राम बकनासा के पास रोड़ पर सार्वजनिक स्थल पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला 315 बोर का कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे। फलतः यह न्यायालय आरोपी सियाराम को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख)(क) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

26. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च-

27. आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। अतः आरोपी को कम से कम दंड से दंडित किया जावे।

28. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। परन्तु आरोपी वयस्क व्यक्ति है एवं अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम है आरोपी द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना आग्नेय आयुध अपने आधिपत्य में रखे गये हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी सियाराम को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1)(1-ख)(क) के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

29. आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

30. प्रकरण में जप्तशुदा 315 वोर का कटटा एवं दो कारतूस अपील अवधि पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी भिण्ड की ओर भेजे जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

31. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में द0प्र0स0 की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 24.04.12 से दिनांक 14.05.12 तक एवं दिनांक 12.10.2017 से दिनांक 13.11.2017 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदानुसार सजा वारंट बनाया जावे।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:- 30.05.2018

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अम